

प्रकरण सं० ७९/२०१६

नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

निर्णय दिनांक ०७/१२/२०१६

सरकार बनाम रवानूरवां पुत्र वसूखों

प्रकरण का प्रकार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा-९१

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी पत्रावली की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू की गई ।


अप्रार्थी श्री रवानूरवां पुत्र श्री वसूखों जाति मुसलमान
साकिन पत्रावली ग्राम पत्रावली खसरा नं. १५३९
जो कि रिकार्ड में ३१.०७ भूमि दर्ज है में से ६.०० हे० भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है ।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा-९१ के तहत नोटिस जारी कर तलब किय गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है ।

अतः अप्रार्थी श्री रवानूरवां को नाजायज कब्जा करने पर ग्राम..... के खसरा नं. १५३९ रकबा ६.०० हे० भूमि का सम्बत् २०७३ का अतिकमी घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक हेक्टेयर की कुल दर रूपये ०.५५ की दर से ६.०० हे० का २० गुणा रूपये ६६/२ अक्षरे रूपये द्विगुण मूल्य तावान कायम किया जाता है तथा उक्त अतिकमी का तुरन्त अ.३ भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट पेश करें तथा भोंग कायमी टी.आर.को दर्ज करवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक ०७/१२/२०१६ को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।


नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर